

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 68/2024

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2024/340

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थी:-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी
मारवाड़ जंक्शन पाली

1. दिनेश पुत्र शंभुजी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल कार्यकर्ता
2. भैरूलाल पुत्र लहरूजी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल प्रोपराईटर फर्म मैसर्स बालाजी ईडली डोसा बाड़सा कॉम्पलेक्स के सामने वी.डी. नगर पाली।

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955”

उपस्थित :-

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री कैलाश मकवाणा।



:- निर्णय :-

दिनांक:- 23/12/2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3ए.सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जल्दसुदा 03 सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.09.2024 को मन प्रवर्तन अधिकारी मारवाड़ जंक्शन हमराह श्री जितेन्द्र आशिया प्रवर्तन अधिकारी संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान अप्रार्थी की फर्म मैसर्स बालाजी ईडली डोसा बाड़सा कॉम्पलेक्स के सामने वी.डी. नगर पाली पर पहुंचे। मौके पर दिनेश पुत्र शंभुजी उपस्थित मिले जिन्होंने खुद को दुकान का कार्यकर्ता होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान रतनलाल तेली पुत्र शंभु निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा एवं जसराज पुत्र बाबुलाल निवासी तिरुपति कॉलोनी नया गांव पाली की उपस्थिति में प्रतिष्ठान में जांच के दौरान 03 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा) एच पी कम्पनी के पाये गये। जिनमें से 1 घरेलु गैस सिलेण्डर

अति. जिला कलक्टर, पाली

प्रतिष्ठान के अन्दर रखा हुआ था तथा 2 गैस सिलेण्डर भट्टी से जुड़े हुए थे, जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी से मौके पर प्राप्त गैस सिलेण्डर से सम्बन्धी आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, न ही संतोष जनक जवाब दिया। जिस पर गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स पाली गैस सर्विस, पाली के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिंग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी-1 के अनुसार स्थिति पाई गई :-

सारणी-1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	24.700	15.700	9.000	508288
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	22.300	15.800	6.500	546745
3	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	18.500	15.900	2.600	7791

एक छोटी भट्टी मय रबर ट्यूब नली व रेगुलेटर



इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी-1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु दिलीप मंडल पुत्र विमल मंडल निवासी तिरुपति कॉलोनी नया गावं पाली हाल मैनेजर मैसर्स पाली गैस सर्विस पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा) एवं एक छोटी भट्टी मय रबर ट्यूब नली व रेगुलेटर को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से जब्त गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के न होकर, उनके मिलन वालों के है, जिन्हे रिफिल करवाने हेतु दुकान में रखा गया था तथा उक्त गैस सिलेण्डरों का उपयोग दुकान में नहीं किया जाता है, दुकान में उपयोग हेतु पृथक से व्यवसायिक गैस कनेक्शन ले रखा है। अतः अप्रार्थी के प्रति नम्र रूख अपनाते हुए कार्यवाही झोप करते हुए जब्त गैस सिलेण्डर, भट्टी मय रबर ट्यूब नली व रेगुलेटर दिलवाने का आदेश फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म बालाजी ईडली डोसा बाइसा कॉम्प्लेक्स के सामने वी.डी नगर पाली पर घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी संख्या 01 एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान रतन लाल पुत्र शंभु निवासी गंगानगर तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा एवं जसराज पुत्र श्री बाबुलाल निवासी तिरूपति कॉलोनी नया गावं पाली की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में 03 एचपी कम्पनी के घरेलु गैस सिलेण्डर पाये गये, जिनमें से एक सिलेण्डर प्रतिष्ठान के अन्दर रखा हुआ था एवं 02 गैस सिलेण्डर भट्टी से जुड़े हुए थे, जिनका अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी तसईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हो रहा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं एक छोटी भट्टी मय रबर ट्यूब नली व रेगूलेटर को कब्जे में लेकर पाली गैस सर्विस, पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के तहत की है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थीगण भी दौराने बहस यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहे कि उक्त जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं हो रहा था। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी-1 में वर्णित घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 03 गैस सिलेण्डरों को मय गैस राज्यसात (Confiscate) किया जाता है एवं जब्त एक छोटी भट्टी मय रबर ट्यूब नली व रेगूलेटर को अप्रार्थीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 86(8)खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

